राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड

Email- lr.dmkotputlibehror@gmail.com

क्रमांकः– भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 2347 दिनांकः– 25-09.2024

श्री हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,
ग्राम कल्याणपुरा, तहसील बहरोड़,
जिला कोटपूतली–बहरोड़।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के पत्रांक रासूआ/ निर्णय/RIC/KTBH/A/2024/007826 दिनांक 14.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में आप द्वारा चाही गई 5 बिन्दुओं की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।

संलग्नः– सत्यापित प्रतिलिपि ।

प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलक्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

क्रमांकः– भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 2348-50 दिनांकः– 25-09.2024

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान सूचना आयुक्त महोदय, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर को सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (RTI) कार्यालय हाजा ।
3. रक्षित पत्रावली ।

प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलक्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

Signature valid

Digitally signed by Brajesh Kumar
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.09.25 15:33:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10735152

Received 04-05/10/24 – By – CR-3443506832 IN

(108)

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

आरोप विवरण पत्र विरूद्ध श्री रामपत यादव, पटवारी तत्कालीन प०ह० जागूवारा हाल प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन, तह० बहरोड़, जिला अलवर, अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16

आरोप विवरण संख्या–1 :– यह है कि आप द्वारा प०ह० जागूवारा पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम जागूवास में रिलीज डीड का नामान्तरकरण संख्या 787 दि. 18.12.2016 को दर्ज किया गया, जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दि. 18.12.2016 से कराई जाकर संबंधित ग्राम पंचायत से दि. 06.01.2017 को निर्णित कराया गया है। उक्त रिलीज डीड में कृषक का नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदयान्ति प्रदर्शित होती है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (भू०अ०)
अलवर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपतली–बहरोड

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपुतली–बहरोड़

E-mail:- lr.dmkotputlibehror@gmail.com

क्रमांक :– भू.अ. / शि.जा. / 2024 / 1973

आदेश

निर्णय दिनांक :– 06.08.2024

श्री सम्पत यादव, तत्कालीन पटवारी प.ह. जागुवास, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन, तहसील बहरोड़, जिला कोटपुतली–बहरोड़ विरुद्ध जिला कार्यालय अलवर में दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थी श्री हंसराम पुत्र श्री मंगलराम निवासी कल्याणपुरा, तहसील बहरोड़ ने स्वयं उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की । प्राप्त प्रार्थना–पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ का जांच बाबत पत्र क्रमांक 3740 दिनांक 07.03.2022 लिखा गया । उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से पुनः प्राप्त स्पष्ट रिपोर्ट पत्रांक 364 दिनांक 29.06.2022 के पश्चात तहसीलदार बहरोड़ को पत्र क्रमांक 16639 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरोप पत्रादि प्राप्त करने बाबत लिखा गया व तहसीलदार बहरोड़ से पत्रांक 1787 दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्राप्त आरोप–पत्र, आरोप विवरण–पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स,द के पश्चात जिला कार्यालय अलवर द्वारा कार्मिक के विरुद्ध आपन क्रमांक 3796 दिनांक 07.02.2023 से सी.सी.ए. नियम–16 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पत्र क्रमांक 7971 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय पत्रावली क्रमांक 138 दिनांक 07.05.2024 के पश्चात राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई विवरण निम्नानुसार है:–

<u>आरोप संख्या</u> :– 1 यह है कि आप द्वारा प.ह. जागूवास पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम जागूवास में रिलीज डीड का नामान्तरकरण संख्यां 787 दिनांक 18.12.2016 को दर्ज किया गया, जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.12.2016 से कराई जाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत से दिनांक 06.01.2017 को निर्णित कराया गया है । उक्त रिलीज डीड में कृषक का नाम हंसराम दर्ज है जबकि आप द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है । उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदनियति प्रदर्शित होती है । आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है ।

प्रकरण में आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 04.07.2024 को आरोप पत्र का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई पर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया ।

<u>आरोप संख्याः</u>– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि यह एक मानवीय व लिपिकीय भूल हुई है । जानकारी में आने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को अवगत करवा दिया गया था, नियम 136 के तहत नाम शुद्धीकरण आदेश क्रमांक राजस्व / कोर्ट / 2022 / 423 दिनांक 19.07.2023 की पालना में नामा सं. 955 दर्ज कर दिनांक 26.07.2022 को स्वीकृत करवा कर हंसराज से हंसराम शुद्ध कर दिया गया है । इसमें कार्मिक की कोई बदनियत नहीं है ।

कार्मिक को व्यक्तिगत सुने जाने, कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन, मनन एवं विश्लेषण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

<u>आरोप संख्याः</u>– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि यह एक मानवीय व लिपिकीय भूल हुई है । प्रकरण संज्ञान में आने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में प्रा[illegible] बहरोड़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / कोर्ट / 2022 / 423 [illegible] में नामा. सं.

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agarwal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.20 17:28:32 IST
Reason: Approved

COMPARE BY
फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
अति. कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

...दर्ज कर दिनांक 26.07.2022 को स्वीकृत करवाकर भूमि का नाम [illegible] से [illegible] कर दिया गया था । कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता एवं [illegible]पूर्वक अवलोकन नहीं किया जाकर नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करवा दिया गया जोकि गलत है । कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होता है ।

अतः कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होने के कारण श्री रामदत्त यादव तत्कालीन पटवारी जागुवास तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है । इस दण्डादेश का कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़
दिनांक– 30.08.2024

क्रमांक:– भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 1974-77
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ।
2. तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय का आगामी 03 दिवस में कार्मिक के सेवाभिलेख में दर्ज कर पालना रिपोर्ट मय सेवाभिलेख में अंकन किये गये पृष्ठ की छाया प्रति के प्रेषित करें ।
3. श्री रामदत्त यादव, तत्कालीन पटवारी प.ह. जागुवास, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन, जिला कोटपूतली–बहरोड़ ।
4. निजि / रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.30 [illegible]:28:32 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

(111)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

आरोप विवरण पत्र विरूद्ध श्री गुनेश यादव, पटवारी तत्कालीन प०ह० कांकरदोपा, तह० बहरोड, जिला अलवर हाल प०ह० सोहली, तह० बुहाना, जिला झुंझुंनू अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16

<u>आरोप विवरण संख्या–1</u> :– यह है कि आप द्वारा प०ह० कांकरदोपा, तहसील बहरोड हाल तहसील नीमराणा पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम कल्याणपुरा में मंगलराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 356 दि. 05.05.2016 को दर्ज किया गया। प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं वारिस प्रमाण पत्र में नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आपका द्वारा हंसराज गलत दर्ज किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदयान्ति प्रदर्शित होती है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (भू०अ०)
अलवर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपुतली–बहरोड़

E-mail:- lr.dmkotputlibehror@gmail.com

क्रमांक :- भू.अ. / बिजा. / 2024 / 11378

आदेश

निर्णय दिनांक :- 06.03.2024

श्री मुकेश यादव पटवारी तत्कालीन प.ह. कांकरदोपा, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. सौंखली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू के विरुद्ध जिला कार्यालय अलवर में दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थी श्री हंसराम पुत्र श्री मंगलराम निवासी कल्याणपुरा, तहसील बहरोड़ ने स्वयं उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की । प्राप्त प्रार्थना–पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को जांच बाबत पत्र क्रमांक 3740 दिनांक 07.03.2022 लिखा गया । उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से पुनः प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 364 दिनांक 21.06.2022 के पश्चात तहसीलदार बहरोड़ को पत्र क्रमांक 16630 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरोप पत्रादि प्राप्त करने बाबत लिखा गया व तहसीलदार बहरोड़ से पत्रांक 1787 दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र, आरोप विवरण–पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स,द के पश्चात जिला कार्यालय अलवर द्वारा कार्मिक के विरुद्ध आदेश क्रमांक 3801 दिनांक 07.02.2023 से सी.सी.ए. नियम–16 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किए गये तथा उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पत्र क्रमांक 7975 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय पत्रावली क्रमांक 191 दिनांक 26.09.2024 के पश्चात राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई विवरण निम्नानुसार है:–

<u>आरोप संख्या</u> :– 1 यह है कि आप द्वारा प.ह. कांकरदोपा, तहसील बहरोड़ हाल तहसील नीमराना पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम कल्याणपुरा में मंगलराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्यां 356 दिनांक 05.05.2016 को दर्ज किया गया । प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं वारिस प्रमाण–पत्र में नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज गलत दर्ज किया गया है । उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदयान्ति प्रदर्शित होती है । आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है ।

प्रकरण में आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 04.07.2024 को आरोप पत्र का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई पर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया ।

<u>आरोप संख्या</u>:– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि कार्मिक द्वारा फसल रबी गिरदावरी व ढाल–बांछ के कार्य की अधिकता के चलते ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम के नामा. रा. 787 दिनांक 28.02.2014 राजस्व अधिकारी द्वारा स्वीकृतशुदा नामा की छायाप्रति के आधार पर प.ह. हल्का कांकरदोपा का नामा. 356 दिनांक 05.05.2016 दर्ज किया गया था जिसमें कार्मिक की कोई बदनियति नहीं थी । जानकारी में आने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को अवगत करवा दिया गया था, नियम 136 के तहत नाम शुद्धीकरण आदेश क्रमांक राजस्व / कोर्ट / 2022 / 844 दिनांक 28.12.2022 हंसराज से हंसराम के आदेश हो चुके थे किन्तु माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर, बहरोड़ के मु.न. 42 / 23.06.2021 द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के चलते पालना नहीं हो पाई थी । इसमें कार्मिक की बदनियति या कार्य के प्रति उदासीनता नहीं रही है । कार्मिक को व्यक्तिगत सुने जाने, कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन, मनन एवं विश्लेषण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.30 17:28:33 IST
Reason: Approved

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित

उप जिला कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड़

RajKaj Ref No.: 10145543

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

आरोप संख्याः— 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि कार्य की अधिकता व अन्य पटवारी द्वारा दर्ज / स्वीकृत नामा. की छाया प्रति के आधार पर नामा. दर्ज किया गया है जो एक मानवीय व लिपिकीय भूल है । प्रकरण संज्ञान में आने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / कोर्ट / 20.. / 844 दिनांक 28.12.2022 द्वारा हंसराज के स्थान पर हंसराम नाम शुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया गया था । कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सजगता एवं ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया जाकर नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करवा दिया गया जोकि गलत है । कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होता है ।

अतः कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होने के कारण मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प.ह. कांकरदोपा, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. सोहली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनु को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धी असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है । इस दण्डादेश का कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़
दिनांकः— 30.08.2024

क्रमांकः— भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 1379-1383
प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ ।
2. उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनु ।
3. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना, जिला झुन्झुनु को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय का अंकन 03 दिवस में कार्मिक के सेवाभिलेख में कर पालना रिपोर्ट मय सेवाभिलेख में अंकन किये गये पृष्ठ की छाया प्रति के प्रेषित करें ।
4. श्री मुनेश यादव पटवारी, तत्कालीन प.ह. कांकरदोपा, तहसील बहरोड़ हाल प.ह. सोहली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनु ।
5. निजि / रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.30 17:28:33 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

(११५)

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

आरोप पत्र विरुद्ध श्री अनित कुमार, पटवारी तत्कालीन प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन हाल प०ह० रिवाली, तह० बहरोड, जिला अलवर, अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16

आरोप संख्या–1 :– यह है कि आप द्वारा प०ह० बहरोड तर्फ गंगाबिशन पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम बहरोड तर्फ बलराम में मंगलराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 787 दि. 28.02.2014 को दर्ज किया गया। प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदयानित प्रदर्शित होती है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयानित का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है।

(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (भू०अ०)
अलवर

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्राप्त प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपुतली–बहरोड

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपुतली–बहरोड़

E-mail:- lr.dmkotputlibehror@gmail.com

क्रमांक :– भू.अ. / वि.जा. / 2024 / 11968

आदेश

निर्णय दिनांक :– 06.08.2024

श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन हाल प.ह. सिवानी, तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ के विरुद्ध जिला कार्यालय अलवर में दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थी श्री हंसराम पुत्र श्री मंगलराम निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ ने स्वयं उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की । प्राप्त प्रार्थना–पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को जांच बाबत पत्र क्रमांक 3740 दिनांक 07.03.2022 लिखा गया । उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से पुनः प्राप्त स्पष्ट रिपोर्ट पत्रांक 364 दिनांक 29.06.2022 के पश्चात तहसीलदार बहरोड़ को पत्र क्रमांक 16639 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरोप पत्रादि प्राप्त करने बाबत लिखा गया व तहसीलदार बहरोड़ से पत्रांक 1787 दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्राप्त आरोप–पत्र, आरोप विवरण–पत्र मय प्रपत्र अ,ब,स,द के पश्चात जिला कार्यालय अलवर द्वारा कार्मिक के विरुद्ध आदेश क्रमांक 3806 दिनांक 07.02.2023 से सी.सी.ए. नियम–16 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पत्र क्रमांक 7975 दिनांक 05.04.2023 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय पत्रावली क्रमांक 191 दिनांक 26.09.2024 के पश्चात राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली–1958 का नियम–16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई विवरण निम्नानुसार है:–

आरोप संख्या :– 1 यह है कि आप द्वारा प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन पर पदस्थापित रहते हुए ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम में मंगलराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्यां 787 दिनांक 28.02.2014 को दर्ज किया गया । प्रार्थी हंसराम द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में नाम हंसराम दर्ज है, जबकि आप द्वारा हंसराज दर्ज किया गया है । उक्त गलत इन्द्राज करने से आपकी बदनियति प्रदर्शित होती है । आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व बदयान्ति का द्योतक है, जिसके लिये आपको दोषारोपित किया जाता है ।

प्रकरण में आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 04.07.2024 को आरोप पत्र का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई पर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया ।

आरोप संख्या:– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि कार्मिक के पास प.ह. बहरोड़ तर्फ डूंगरसी का अतिरिक्त कार्यभार व कार्य की अधिकता के चलते सहवन से मानवीय व लिपिकीय भूल हुई है । जानकारी में आने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को अवगत करवा दिया गया था, नियम 136 के तहत नाम शुद्धीकरण आदेश क्रमांक राजस्व / कोर्ट / 2022 / 368 दिनांक 30.06.2022 की पालना में नामा सं. 1013 दर्ज कर दिनांक 22.07.2022 को स्वीकृत करवा कर हंसराज से हंसराम शुद्ध कर दिया गया है । इसमें कार्मिक की कोई बदनियति नहीं है ।

कार्मिक को व्यक्तिगत सुने जाने, कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन, मनन एवं विश्लेषण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

आरोप संख्या:– 1 के क्रम में कार्मिक का कथन है कि यह एक मानवीय व लिपिकीय भूल है । प्रकरण संज्ञान में आने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में प्रा... में नामा. रा. बहरोड़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / कोर्ट / 2022 / 368

Signature valid
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.20 17:28:33 IST
Reason: Approved

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित

कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जारी

1013 दर्ज कर दिनांक 22.07.2022 को स्वीकृत करवाकर प्रार्थी का नाम हंसराज से हंसाराम कर दिया गया था । कार्मिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का राजगता एवं ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया जाकर नामान्तरकर दर्ज कर स्वीकृत करवा दिया गया जोकि गलत है । कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होता है ।

अतः कार्मिक पर आरोपित आरोप साबित होने के कारण अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन हाल प.ह. रिवाली, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धी असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाता है । इस दण्डादेश का कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़
दिनांकः– 30.08.2024

क्रमांकः– भू.अ. / दि.जा. / 2024 / 11969-72
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड ।
2. तहसीलदार (भू.अ.) बहरोड को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय का अकंन 03 दिवस में कार्मिक के सेवाभिलेख में कर पालना रिपोर्ट मय सेवाभिलेख में अंकन किये गये पृष्ठ की छाया प्रति के प्रेषित करें ।
3. श्री अमित कुमार पटवारी, तत्कालीन प.ह. बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन हाल प.ह. रिवाली, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड ।
4. निजि / रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर (भू.अ.)
कोटपूतली–बहरोड़

COMPARE BY

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित
कृते कलक्टर (भू.अ.)
जिला कोटपूतली–बहरोड़

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.30 17:28:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10145530

Scanned with CamScanner